


24-11-22 पत्रावली पेश हुयी वकील आधी अनुपास्थित।
वकील अपाधी उपस्थित। यूं कि मूल वाद
अदम हाजरी। अदम पेशी में किया जा चुका
है अतः आधी का आधीना पर अदम हाजरी।
अदम पेशी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम लगे।


उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

